



पत्रांक संख्या- 1105 / 12-1

दिनांक 19/10/2019

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद-टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा-ग्वाड़ तोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग हेतु 0.2795 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक संख्या-1360/33 सी0 दिनांक 29-08-2019।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत प्रस्ताव मूल में निम्न कमियों सहित वापस किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राजि अधिकारी द्वारा जारी वृक्षों की गणना सूची चस्पा नहीं की गयी है तथा रिपोर्ट में राजि अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के वैकल्पिक समरेखण के मानचित्र यथास्थान पर चस्पा नहीं किया गया है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित समरेखण में वृक्षों की संख्या शून्य दर्शायी गयी है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-19 (प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण) में 52 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है।
4. यदि प्रस्तावित समरेखण में 52 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं और वैकल्पिक समरेखण में 10 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तो स्पष्ट करें कि वैकल्पिक भूमि का चयन क्यों नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-30 वन अधिकार अधिनियम 2006 में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
6. संलग्न प्रारूप-37 (धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र) में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
7. प्रस्ताव में प्रारूप-48 में भूमिधर तथा प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध के प्रति संलग्न नहीं की गयी है।
8. हस्तान्तरित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन प्रारूप-52 में तैयार कर चस्पा किया जाना अपेक्षित है।
9. प्रस्ताव में संलग्न विषय सूची अपूर्ण है।

अतः प्रस्ताव की प्रति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1105 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि को इस निर्देश के साथ कि विभाग से सम्बन्धित कमियों के निराकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।